न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 03/2011

अपीलान्ट

इन्द्रसिंह गोदपुत्र पीराजी के का0मु0

1.1 इन्द्राकंवर धर्मपत्नी इन्द्रसिंह

2.1 भानसिंह पुत्र इन्द्रसिंह

2.3 श्रवणसिंह पुत्र इन्द्रसिंह

2.4 उत्तमसिंह पुत्र इन्द्रसिंह, अपीलाण्ट संख्या 1.2 से 1.4 नाबालिग जरिए कुदरती वली माता इन्द्राकंवर पत्नी इन्द्रसिंह जातिगण राजपूत निवासी बागोड़ा जिला जालोर

बनाम

रेस्पोडेन्ट :–

1 मुंगी पुत्री पीरा धर्मपत्नी भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी बावतरा

2 सवसिंह पुत्र तगसिंह जाति राजपूत निवासी तूरा तहसील सायला

3 मांगुसिंह पुत्र खीमसिंह जाति राजपूत निवासी ढालू के का0मु0

3.1 हेवन पत्नी मांगुसिंह निवासी ढालू

4 हवन पत्नी जयसिंह पुत्री खीमसिंह जाति राजपूत निवासी मोरसीम तहसील बागोड़ा जिला जालोर

5 ढपी पुत्री खीमसिंह पत्नी हडमतसिंह जाति राजपूत निवासी जुंजाणी तहसील भीनमाल जिला जालोर

6 लीला पत्नी जोगसिंह पुत्री खीमसिंह जाति राजपूत निवासी वालेरा तहसील सायला जिला जालोर

7 हीरसिंह पुत्र खीमसिंह जाति राजपूत निवासी ढालू तहसील सायला

8 आशी बेवा विजयसिंह पुत्री पीराजी जाति राजपूत निवासी चौराउ के का0मु0

8.1 उदयसिंह पुत्र विजयसिंह

8.2 बाघसिंह पुत्र विजयसिंह

8.3 मफरी पत्नी अजीतसिंह जाति राजपूत निवासी कावतरा तहसील भीनमाल

8.4 कमला पत्नी दीपसिंह जाति राजपूत, निवासी लेदरमेर तहसील भीनमाल

9 पांचसिंह पुत्र लक्ष्मणाजी जाति राजपूत निवासी बागोडा

10 तुलसी बेवा लक्ष्मणाजी जाति राजपूत

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली केम्प-जालोर

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

निवासी बागोडा

11 देवा पुत्र जैरूपाजी जाति राजपूत निवासी बागोडा

12 भमरा पुत्र जैरूपाजी जाति राजपूत निवासी बागोडा

13 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बागोडा

14 उप पंजीयक बागोडा

15 नरेन्द्र कुमार पुत्र रिकबचंद जाति सोनी निवासी सायला तहसील सायला जिला जालोर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

श्री त्रिलोक मेहता, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स

श्री निखिल दवे, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स

–: निर्णय :–

दिनांकः–8.6.2018

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत न्यायालय सहायक कलेक्टर बागोडा द्वारा राजस्व वाद संख्या 06/2008 व 15/2010 में पारित निर्णय दिनांक 31.01.2011 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने बहस में निवेदन किया कि जैर अपील वादस्थ भूमि में पीराजी का 1/3 हिस्सा है। पीराजी के तीन पुत्रियां तथा अपीलाण्ट संख्या 1 गोदीपुत्र है। जैर अपील वादस्थ भूमि में पीराजी का 1/3 हिस्सा था। इस प्रकार अपीलाण्ट संख्या 1 का उक्त भूमि में 1/12वां हक हिस्सा बनता है। पीरा के स्वर्गवास होने के पश्चात उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड में मानी पत्नी पीरा के नाम नामान्तरकरण दायर किया गया। मानी के स्वर्गवास के पश्चात रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम नामान्तरकरण संख्या 109 दायर किया गया। उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम दर्ज होने का नाजायज लाभ प्राप्त करते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा उक्त 1/3 हिस्से की भूमि का बेचान रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को बेचान कर दिया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम दायर नामान्तरकरण को चुनौती देने पर नामान्तरकरण संख्या 109 को अपास्त किया गया तथा पीरा के 1/3 हिस्से में उसके वारिशान में अपीलाण्ट संख्या 1 व उनके पुत्रियों के

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली कैम्प-जालोर

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

हक में नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया, जिसे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा कभी चुनौती नहीं दी गई। इसके पश्चात रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत कर खातेदारी घोषित कराने एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश के जरिये सम्पूर्ण 1/3 हिस्सा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के नाम घोषित किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का कथन है कि हमारे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय विलेख को चुनौती नहीं दी गई है, चूंकि उक्त विक्रय विलेख अपीलाण्ट्स के हक हिस्से के विरूद्ध आरम्भ से ही शून्य है, इस कारण उक्त शून्य प्रभावी दस्तावेज को निष्प्रभावी घोषित कराने की आवश्यकता नहीं है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपने 1/12 हिस्से को बेचान करने की ही अधिकारिता थी, जबकि उसके द्वारा सम्पूर्ण 1/3 हिस्से का बेचान किया गया है, जो शून्य प्रभावी है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा मुंगी का रिकॉर्ड देखे बिना भूमि खरीद की है तथा उक्त विक्रय विलेख के आधार पर ही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न तो तनकीयात को समग्र रूप में विनिश्चित किया है तथा न ही तथ्यों का विवेचन किया है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय नोन स्पीकिंग आदेश की श्रेणी में आता है। तनकी संख्या 1 में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का 1/3 हिस्सा किस आधार पर घोषित किया है, उसकी कोई साक्ष्य नहीं है। तनकी संख्या 1 के आधार पर तनकी संख्या 2 को विनिश्चित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट्स के हिस्से की भूमि को सम्मिलित करते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पक्ष में 1/3 हिस्से की भूमि की खातेदारी घोषित की है, जो विधि विरूद्ध है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का जैर अपील वादस्थ भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है, तथा न ही वर्तमान में कब्जा काश्त है। अंतः कब्जे के अभाव में निषेधाज्ञा का आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि विरूद्ध होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय अपास्त करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि जैर अपील वादस्थ भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी भूमि थी, जो उसके द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को बेचान किया गया है। इसके पश्चात नामान्तरकरण अपील के द्वारा अपीलाण्ट्स एवं अन्य रेस्पोडेन्ट्स का नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज कर दिया गया, जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को किसी भी रूप में सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। इस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। जिसमें प्रतिवादी संख्या 4/5 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया गया, अन्य प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया गया। जिस बेचान दस्तावेज से भूमि क्रय की गई है, उसे अपीलाण्ट्स द्वारा निरस्त नहीं करवाया गया है, जो निरस्त कराने का एकमात्र अधिकार सिविल न्यायालय को ही है। अपीलाण्ट संख्या 1 द्वारा स्वयं को गोदीपुत्र होना बताया है, जबकि जमाबन्दी में इनके

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली केम्प-जालोर

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

प्राकृतिक पिता का नाम दर्ज है, यदि गोदीपुत्र होता तो पीरा का नाम दर्ज होता, जो नहीं है। जिस बेचान दस्तावेज के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा भूमि क्रय की गई है, उससे पीरा के किसी वारिश को आपत्ति नहीं है, मात्र अपीलाण्ट को उससे आपत्ति हुई है। पीरा की किसी पुत्री ने अपीलाण्ट को गोदपुत्र नहीं माना है। उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा नरेन्द्र कुमार सोनी को बेचान कर दी गई है, जिसे प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इन्द्रसिंह ने गोदपुत्र की हैसियत से कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेकर्ड पर उपलब्ध करवाए गए दस्तावेजात् के परीक्षण के पश्चात तनकीयात विनिश्चित करते हुए जैर अपील निर्णय पारित किया गया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध करवाए गए दस्तावेजात् का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया तथा ग्राम बागोडा के खसरा नम्बर 1286, 1287, 1288 कुल खसरा 3 जिसका कुल रकबा 4.16 हैक्टेयर में से 1/3 हिस्से की भूमि की खातेदारी घोषित कराने तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मात्र प्रतिवादी संख्या 4/5 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया, अन्य किसी भी प्रतिवादी द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया गया। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में निम्न तनकीयात कायम की गई –

1. आया वादस्थ आराजी का 1/3 हिस्सा वादी द्वारा जरिये रजिस्टर्ड रजिस्ट्री दिनांक 26.09.1997 को मूंगी प्रतिवादी से खरीद किया था तथा बेचाननामा निरस्त नहीं करने से वादी 1/3 हिस्से की खातेदारी हक घोषित कराने का अधिकारी है ? जिम्मे वादी
2. आया वादी अपना हिस्सा जरिये विभाजन पृथक से कराने का अधिकारी है ?

   जिम्मे वादी
3. आया वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी है ? जिम्मे वादी
4. आया वादी द्वारा कब्जा की मांग नहीं की गई है। जिससे स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है ?

   जिम्मे प्रतिवादी संख्या 4/5

उपरोक्त तनकीयात को अपने पक्ष में साबित करने हेतु वादी पक्ष की ओर से मुख्य परीक्षण में गवाह पी0डब्ल्यू0 1 सवसिंह पुत्र तगसिंह, गवाह पी0डब्ल्यू02 मंगलसिंह पुत्र धूड़सिंह, गवाह पी0डब्ल्यू0 3 हिम्मताराम पुत्र भेराजी जाति मेघवाल परीक्षित हुए तथा दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श–1 व प्रदर्श–2 प्रस्तुत किए। प्रतिवादीगण द्वारा न तो दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया तथा न ही मुख्य परीक्षण में कोई गवाह परीक्षित हुआ। वादी पक्ष की ओर से जो दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए, उसमें से प्रदर्श–1 रजिस्टर्ड बेचान दस्तावेज

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली केन्द्र-जालोर

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

दिनांक 26.09.1997 की प्रति है, जिसमें अंकित इबारत अनुसार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को अपनी सह खातेदारी भूमि में से अपने 1/3 हिस्से की भूमि का बेचान किया गया है। चूंकि वक्त बेचान रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम राजस्व रेकर्ड में 1/3 हिस्से की भूमि दर्ज थी, तद्नुसार उक्त बेचान निष्पादित किया गया है, उक्त विक्रय विलेख के पेज संख्या 2 के चरण संख्या 2 की पंक्ति संख्या 14 में क्रेता को मौके पर भूमि का कब्जा सुपुर्द करने के इन्द्राज है। उक्त बेचान के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 223 के जरिये क्रेता का नाम रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के स्थान पर राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया है, जिसके कॉलम संख्या 14 में पटवारी हल्का द्वारा कब्जा खरीददार का होना अंकित किया है। इसके पश्चात नामान्तरकरण अपील संख्या 29/1999 में पारित निर्णय दिनांक 07.09.1999 के अनुसार पूर्व नामान्तरकरण संख्या 108 दिनांक 24.06.1993 को अपास्त किया जाकर मृतक मानी बेवा पीरा के विधिक वारिशान को सुनकर निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण तहसीलदार बागोडा को प्रतिप्रेषित किया गया। प्रथमतः तो उक्त प्रकरण दायर होने से पूर्व ही रेस्पोडेन्ट संख्या 2 उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में खातेदार दर्ज हो चुका था, इस कारण वह प्रकरण में प्रभावित एवं हितबद्ध पक्षकार था, जिसे सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना था, किन्तु उक्त प्रकरण में सवसिंह को पक्षकार संयोजित ही नहीं किया गया तथा तहसीलदार बागोडा द्वारा मृतक मानी बेवा पीरा के वारिशान के तौर पर मूंगी पुत्री पीरा, इन्द्रसिंह गोदपुत्र पीरा, चुन्नी बेवा खीमसिंह तथा आशी बेवा विजयसिंह का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर दिया। जहां तक नामान्तरकरण के जरिये अधिकारों के निर्धारण का प्रश्न है, तो इस सम्बन्ध में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा विभिन्न न्यायिक सिद्धान्तों में यह प्रतिपादित कियागया है कि नामान्तरकरण केवल मात्र यह तय करने के लिए कि लगान किससे वसूल किया जावे, एक प्रक्रिया मात्र है, इससे काश्तकारों के अधिकारों का निर्धारण नहीं किया जाता है। इस सम्बन्ध में माननीय मण्डल द्वारा आर0आर0डी0 1965 पेज 395 लक्ष्मणसिंह बनाम केशवसिंह, आर0आर0डी0 1970 पेज 151 सरकार बनाम लाछी, आर0आर0डी0 1974 पेज 628 नाथिया बनाम नानिया, आर0आर0डी0 1975 पेज 236 मूर्ती श्री रघुनाथजी बनाम भंवर में प्रतिपादित सिद्धान्त महत्वपूर्ण है। जहां हक अधिकारों का प्रश्न निहित हो, वहां नियमित वाद ही समुचित उपचार माना गया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष न तो प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत किया तथा न ही कोई दस्तावेजी/मौखिक साक्ष्य परीक्षित हुआ। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं मौखिक साक्ष्यों द्वारा अपने बयानों में बताए तथ्यों के आधार पर कानूनी रूप से प्रकरण का विश्लेषण करते हुए तनकीवार विनिश्चय अंकित करते हुए जैर अपील निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने के कारण खारिज़ की जाती है तथा न्यायालय सहायक कलेक्टर बागोडा द्वारा राजस्व वाद संख्या 06/2008 व 15/2010 में पारित निर्णय दिनांक 31.01.2011 को यथावत रखा

जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 8.6.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
कैम्प जालोर